

न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार

न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड, (म0प्र0)

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

C.N.R. no. MP30010023072017

फाइलिंग क्रमांक RCS-A/260/2017

सिविल वाद क्रमांक- 62ए/2017

1. फूला देवी विधवा स्व0 श्री तेज सिंह, उम्र-60 वर्ष,  
निवासी बूढ़नपुर तहसील अटेर, वर्तमान पता  
अशोकनगर वार्ड नं0 38, अटेर रोड, जिला भिण्ड, म0प्र0,
2. निर्मला देवी पुत्री स्व0 श्री तेज सिंह पत्नी राजीव, उम्र-45 वर्ष,  
निवासी मेहगांव तहसील मेहगांव जिला भिण्ड,
3. महेन्द्र शर्मा, उम्र-42 वर्ष
4. संतोष, उम्र-38 वर्ष
5. रामू, उम्र-32 वर्ष  
तीनों पुत्रगण स्व0 तेज सिंह, निवासी बूढ़नपुर,  
वर्तमान पता अशोक नगर वार्ड नं0 38, अटेर रोड भिण्ड।

.....आवेदकगण/वादीगण

**बनाम**

1. पूर्व सरपंच रमेश सिंह पुत्र रूकम सिंह, उम्र-47 वर्ष जाति-ठाकुर  
निवासी शुकलपुरा, थाना अटेर, जिला भिण्ड, म0प्र0।

.....असल अनावेदक/प्रतिवादी

2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, भिण्ड, म0प्र0

.....तरतीबी प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री ध्रुवदत्त समाधिया अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री मुन्ना सिंह कुशवाह अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्र0 2 पूर्व से एकपक्षीय।

## // आदेश //

{आज दिनांक 28.08.2017 को घोषित}

1. इस आदेश से वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 क्र0 1/2017 का निराकरण किया जा रहा है।
2. वादीगण का आवेदन संक्षेप में यह है कि ग्राम बूढ़नपुर, तहसील अटेर, जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 449 क्षेत्र 0.75 हे0 (आगे "विवादित भूमि" से सम्बोधित किया जायेगा) वादीगण को उनके पिता व पति स्व0 तेज सिंह से विरासत में प्राप्त हुयी और रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 18.07.1988 से विक्रेता सुशीला व विमला पुत्री झाउलाल ने विवादित भूमि (बंदोबस्त पूर्व सर्वे नम्बर 486, 491 व 495) 45,000/- रुपये प्रतिफल प्राप्त कर वादीगण के पूर्वज मुंशीलाल व तेज सिंह को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था। मुंशीलाल की निःसंतान मृत्यु हो चुकी है और वादीगण मृत मुंशीलाल के सगे भाई स्व0 तेज सिंह के उत्तराधिकारी होने के नाते उक्त विवादित भूमि के भूमिस्वामी है, वादीगण का कब्जा है और वे खेती करके फसल प्राप्त करते हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 का विवादित भूमि पर किसी भी रूप में स्वत्व या कब्जा नहीं रहा है और प्रतिवादी क्रमांक 1 पूर्णतया असंबंधित व्यक्ति है। प्रतिवादी क्रमांक 1 पूर्व सरपंच रहा है और वह लाठी, बंदूक के बल पर विवादित भूमि पर जबरन कब्जा हेतु प्रयासरत है। दिनांक 01.04.2017 को वादीगण अपने स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमि पर गये तो प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करते हुये विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी और विवादित भूमि पर दुबारा आने की दशा में जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 31.01.2017 को वादीगण ने विवादित भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया, दिनांक 12.04.2017 को वादी क्रमांक 1 तहसील कार्यालय अटेर गयी तो पता चला कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपना नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज कराने हेतु राजस्व प्रकरण संस्थित किया है जिसका सूचना पत्र वादीगण को नहीं दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है, प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने व राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लेने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी और सुविधा का संतुलन भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में है। अतः वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप एवं राजस्व कार्यवाही को रोकने हेतु वाद के लंबन तक प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जबाब यह है कि विवादित भूमि को वादीगण के पिता व पति तत्कालीन भूमिस्वामी तेज सिंह व तेज सिंह के सगे भाई मुंशी लाल ने वर्ष 1996 में प्रतिवादी क्रमांक 1 को सौंप दिया था, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उस समय का बाजार मूल्य 42,5000/- रुपये गवाह ओमप्रकाश, सुदामा, नरेन्द्र सिंह, विजयवीर सिंह व वीरेन्द्र सिंह के समक्ष भुगतान कर विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था और तब से ही प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमि पर काबिज है व खेती कर रहा है। तेज सिंह व मुंशी लाल ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.07.1988 से क्रय की गयी विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 को बाजार कीमत प्राप्त कर सौंप दी है और तब से ही पिछले 20-21 वर्ष से प्रतिवादी क्रमांक 1 का मौके पर कब्जा है व खेती करता है। दिनांक 01.04.2017 को धमकी देने व लाठी, बंदूक के बल पर जबरन कब्जा करने का तथ्य मनगढ़ंत व बनावटी है। वर्ष 1996 से ही विवादित भूमि प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की जा चुकी है, प्रतिवादी क्रमांक 1 का तब से ही मौके पर वास्तविक कब्जा है और घर की स्थिति के कारण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित न किये जा सकने से वादीगण द्वारा झूठे आधारों पर यह वाद संस्थित किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा व प्रतिफल अदा करने के आधार पर राजस्व न्यायालय में नामांतरण की कार्यवाही की गयी है, वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है और आवेदन स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया गया।

4. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी ?

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 का निराकरण:-

5. वादपत्र के पैरा-3 में अभिवचन है कि विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.07.1988 से विक्रेता सुशीला व विमला पुत्री झाउलाल को प्रतिफल की राशि 45,000/- रुपये अदा कर मुंशीलाल व उनके सगे भाई तेज सिंह ने क्रय की थी, मुंशीलाल की निःसंतान मृत्यु हो चुकी है और स्वर्गीय तेज सिंह के उत्तराधिकारी होने के

नाते वादीगण का विवादित भूमि पर स्वत्व व मौके पर वास्तविक कब्जा है। इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 का अभिवचन है कि वर्ष 1996 में उक्त मुंशीलाल व तेज सिंह ने विवादित भूमि कि बाजारू कीमत प्राप्त कर कब्जा प्रतिवादी क्रमांक 1 को सौंप दिया था और घरेलू स्थिति के कारण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया जा सका था। स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 1 के अभिवचन के अनुसार विवादित भूमि वादीगण के पूर्वज तेज सिंह व उनके सगे भाई मुंशीलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, मुंशीलाल व तेज सिंह ने बाजारू कीमत 42,5000/— रुपये प्राप्त कर विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया।

6. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार 100/— रुपये से अधिक की स्थावर सम्पत्ति का विक्रय रजिस्टर्ड लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। इस मामले में स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 1 का अभिवचन है कि वर्ष 1996 में मुंशीलाल व तेज सिंह द्वारा वादी के पक्ष में कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया गया है, ऐसी दशा में वर्ष 1996 के अभिकथित विक्रय के संव्यवहार के आधार पर स्वत्व का हस्तांतरण किसी भी रूप में नहीं माना जा सकता है और विवादित भूमि पर प्रथम दृष्टया वादीगण का ही स्वत्व प्रकट होता है।

7. वादपत्र, लिखित कथन एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वत्व घोषणा हेतु प्रस्तुत प्रतिदावा के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि इस मामले में वास्तव में विवादित भूमि पर स्वत्व के संबंध में सारतः कोई विवाद नहीं है और मुख्य अवधारणीय बिंदु यह है कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा है या प्रतिवादी क्रमांक 1 का मौके पर वास्तविक कब्जा है।

8. विवादित भूमि पर कब्जा के संबंध में वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख खसरा व खतौनी में वादीगण का नाम दर्ज है और वादी क्रमांक 1 फूलादेवी, वादी क्रमांक 5 रामू शर्मा, गवाह छक्कीलाल, गवाह राजीव के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त चारों शपथपत्र के शपथकर्ता ग्राम बूढनपुर तहसील अटेर के निवासी नहीं है, शपथकर्ता छक्कीलाल अवश्य ग्राम सुकलपुरा तहसील अटेर का निवासी है, किंतु किसी भी साक्षी ने शपथपत्र में इस विनिर्दिष्ट तथ्य का कोई कथन नहीं किया है कि वास्तव में वादीगण मौके पर किस रूप में काबिज है और मौके पर कौन सी फसल बोयी गयी है। प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से भी ग्राम सुकलपुरा तहसील अटेर के निवासी ओमप्रकाश,



गिरन्द सिंह, विजयवीर सिंह व नरेन्द्र सिंह के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें यह कथन है कि वर्ष 1996 से वर्तमान तक विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा है और प्रतिवादी क्रमांक 1 ही खेती करता है। उक्त विरोधाभाषी कथनों से वास्तव में इस प्रक्रम पर शपथपत्र के आधार पर कोई निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता है।

9. प्रतिवादी की ओर से विवादित भूमि के सीमांकन की कार्यवाही व स्थलनिरीक्षण की कार्यवाही के संबंध में राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन व स्थल पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 25.07.2017 के अवलोकन से यह प्रकट है कि मौके पर तैयार किये गये पंचनामा के अनुसार विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का वर्ष 1996 से कब्जा है और सीमावर्ती कृषक सर्वे क्रमांक 448 के स्वामी ब्रम्हप्रकाश शर्मा, सर्वे क्रमांक 444 के स्वामी मुन्नालाल, सर्वे क्रमांक 452 के स्वामी मुन्नीलाल व एक सीमावर्ती भूमि के स्वामी रामअवतार शुक्ला के कथन के अनुसार भी विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा है।

10. इस मामले में वादीगण की ओर से भी विवादित भूमि के सीमांकन का आवेदन संस्थित किया गया, जो राजस्व न्यायालय, तहसीलदार, तहसील अटेर के प्रकरण क्रमांक 43/2016-17/अ-12 पर पंजीबद्ध हुआ और सीमांकन प्रतिवेदन तलब किया गया। दिनांक 02.08.2017 को मौके पर तैयार किये गये पंचनामा के अनुसार भी विवादित भूमि पर पिछले लगभग 20 वर्षों से प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा होने का तथ्य लेख किया गया है और पंचनामा पर वादी क्रमांक 1 फूलादेवी व वादी क्रमांक 5 रामू के अभिकथित हस्ताक्षर भी है। यद्यपि कि तर्क के दौरान वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त पंचनामा पर वादीगण के हस्ताक्षर कूटरचित होना का तथ्य बताया है, किंतु पंचनामा राजस्व अधिकारी द्वारा तैयार किया गया है और इस प्रक्रम पर साक्ष्य के अभाव में पंचनामा पर हस्ताक्षर के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है।

11. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि खाली भूमि (वैकेंट लैंड) के मामले में कब्जा सदैव स्वत्व का अनुशरण करता है। उक्त विधिक स्थिति पर कोई संदेह नहीं है, किंतु इस मामले में विवादित भूमि पर कब्जा के बारे में विरोधाभाषी कथन व दस्तावेज अभिलेख पर है और इस प्रक्रम पर कब्जे के सारभूत प्रश्न पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है।

12. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले में मुख्य विवाद भी विवादित भूमि

पर कब्जे के संबंध में ही है और भूमि पर कब्जा के तथ्य का निर्धारण साक्ष्य के उपरांत गुण-दोष पर ही किया जा सकता है। इस मामले में मुख्य व सारभूत अनुतोष भी विवादित भूमि पर कब्जे में हस्तक्षेप के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में ही है और यह स्थापित विधि है कि अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के निराकरण के प्रक्रम पर मुख्य अनुतोष दिया जाना समीचीन नहीं है।

**13.** जहां तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही रोके जाने का प्रश्न है, राजस्व न्यायालय, तहसीलदार, अटेर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 07/2016-17/अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 से विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा दर्ज करने का आदेश किया जा चुका है और वादीगण इस आदेश के विरुद्ध सक्षम राजस्व न्यायालय में कार्यवाही कर सकते हैं। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वत्व का निर्धारण राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, तहसीलदार के उक्त आदेश में भी इस विधिक स्थिति का स्पष्ट उल्लेख है और ऐसी दशा में राजस्व न्यायालय के समक्ष स्वत्व के संबंध में कोई विवाद लंबित न होने से राजस्व न्यायालय की कार्यवाही के स्थगन का भी कोई आधार नहीं है।

**14.** प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत कोक सिंह बनाम प्रेम बाई 2013 (पार्ट-1) एम0पी0डब्ल्यू0एन0 नोट-95, सूर्यदीप बनाम नारायण दास 2012 (पार्ट-1) एम0पी0डब्ल्यू0एन0 नोट-46 व माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत रमेश चन्द्र बनाम राजारानी 2015 (2) सी0सी0एस0डी0 पेज-1051 (एस0सी0) प्रस्तुत किया गया था। उक्त न्यायदृष्टांतों में सारतः यह प्रतिपादित किया गया है कि कब्जा के संबंध में यथास्थिति का आदेश किया जाना चाहिये।

**15.** वादी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत श्री देव राम जानकी मंदिर बनाम महंत रामदास व एक अन्य 1996 (2) विधि भास्वर 98 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि प्रथम दृष्टया यह मामला वादी के पक्ष में है, दस्तावेजों में वादी का कब्जा है और राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों के सही होने की उपधारणा के आधार पर व्यादेश मंजूर किया जाना चाहिये।

**16.** इस मामले में विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा है या प्रतिवादीगण का कब्जा है, यह तथ्य मुख्य अवधारणीय बिंदु है और साक्ष्य के उपरांत गुण-दोष पर ही निष्कर्ष दिया जा सकता है। अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के प्रक्रम पर वाद में ईप्सित मुख्य

अनुतोष नहीं दिया जा सकता है और इस प्रक्रम पर कब्जा के सारभूत तथ्य के संबंध में राजस्व अभिलेख एवं राजस्व अधिकारियों के पंचनामा में प्रकट विरोधाभासी तथ्यों के आधार पर कब्जा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जहां तक श्री राम देवी जानकी मंदिर वाले मामले (उपरोक्त) का संबंध है, उक्त मामले में वादी का कब्जा माना गया था परन्तु हस्तगत मामले में इस प्रक्रम पर विवादित भूमि पर कब्जा के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है और ऐसी दशा में उक्त न्यायदृष्टांत के तथ्य भिन्न होने से इस मामले में प्रयोज्य नहीं है।

17. इस मामले में उभयपक्ष के विरोधी अभिवचन एवं अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इस स्टेज पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि विवादित भूमि पर वादीगण का ही कब्जा है, कब्जे में हस्तक्षेप के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का मुख्य अनुतोष चाहा गया है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के प्रक्रम पर ऐसे सारभूत तथ्य पर निष्कर्ष जिससे की मामले में विवाद का अंतिम निराकरण हो जाता, दिया जाना समीचीन नहीं है।

18. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से विवादित भूमि पर कब्जा के सारभूत तथ्य के संबंध में वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला न होने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति भी नहीं मानी जा सकती है और ऐसी दशा में वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नम्बर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2  
जिला-भिण्ड, (म0प्र0)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त व्य0 न्यायाधीश, वर्ग-2  
जिला-भिण्ड, (म0प्र0)